121

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 881–दो/2007 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 15–5–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 981/2005–06 अपील

श्रीमती संगीता पत्नि स्व.रोशनलाल जैसवाल
निवासी चूना भट्टा समान रीवा
तहसील हुजूर जिला रीवा ---आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती रंजना सिंह पत्नि अनुराग सिंह
निवासी चूना भट्टा समान रीवा
तहसील हुजूर जिला रीवा, मध्य प्रदेश --अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री डी0एस0चौहान)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)

आ दे श

(आज दिनांक 11 – 8–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क्र0 981/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 15–5–07 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार हुजूर को आवेदन देकर मांग रखी कि आवेदक ने उनके घर के सामने अतिक्रमण करके रास्ता बंद कर दिया है इसलिये अतिक्रमण हटाकर रास्ता बहाल किया जावे। तहसीलदार हुजूर ने प्रकरण क्रमांक 34 अ–68/2005–06 पॅजीबद्ध किया तथा

स्थल जॉच में पाया गया कि आवेदक का अतिक्रमण आधा भाग एन.एच.-7 में एंव आधार भाग खसरा नंबर 325 में है एंव सर्वे नंबर 325 आवेदक के नाम दर्ज नहीं है। तहसीलदार ने आवेदक को सुनवाई का अवसर देकर आदेश दिनांक 5-4-2006 पारित किया तथा आवेदक पर 50/-रू. अर्थदण्ड अधिरोपित कर बेदखली के आदेश दिये। आवेदक ने इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने प्रकरण कमांक 117/2005-06 अ-68 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-8-2006 से अपील निरस्त की। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क0 981/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-5-07 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक व्दारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अतिक्रमण करके रास्ता अवरूद्व किये जाने एंव रास्ता खुलवाये जाने की मांग की है जिस पर से तहसीलदार हुजूर ने प्रकरण कमांक 34 अ-68/2005-06 पॅजीबद्व किया है तथा आवेदक को सुनवाई का अवसर देने हेतु सूचना पत्र का निर्वहन कराया है। आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर बचाव में लेखी उत्तर प्रस्तुत किया है । स्थल जॉच में पाया गया है कि आवेदक का अतिक्रमण आधा भाग एन.एच.-7 में एंव आधार भाग खसरा नंबर 325 में है एंव सर्वे नंबर 325 आवेदक के नाम नहीं है और जब विवादित भू भाग आवेदक के नाम नहीं है , निश्चित है कि अतिक्रमण श्रेणी है जो एन. एच. -7 पर किया गया है । आवेदक तहसीलदार के समक्ष

स्वयं का भू भाग होना प्रमाणित नहीं कर सकी है जिसके कारण तहसीलदार हुजूर ने प्रकरण कमांक 34 अ-68/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 5-4-2006 से आवेदक पर 50/-रू. अर्थदण्ड अधिरोपित कर बेदखली के आदेश दिये हैं , जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने आदेश दिनांक 3-8-2006 पारित करते समय तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा आदेश दिनांक 15-5-07 पारित करते समय तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 981/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-5-07 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर